# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 8/2019** **दायर दिनांकः 01/07/2019**

**उनवान**

1. पुष्पाबाई आयु 60 वर्ष पत्नि शांतिलाल पुत्री राधाकिशन जाति खटीक निवासी कवाई हाल निवासी ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।
2. कमलाबाई आयु 63 वर्ष पत्नि बाबूलाल पुत्री राधाकिशन जाति खटीक निवासी कवाई हाल निवासी केशव कॉलोनी गिरधरपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।

**प्रार्थीयागण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

**अप्रार्थी**

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>**

**उपस्थिति :—**

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

## आदेश

दिनाकः 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि प्रार्थीयागण के पिता के नाम वाके ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 552 के ख0न0 720 का रकबा 0.65 है०, ख०न0 721का रकबा 0.06 है०, ख०न0 1446 का रकबा 0.65 है०, ख०न० 2229/587 का रकबा 0.03 है०, ख0न0 2230/594 का रकबा 0.02 है०, ख0न0 2232/1191 का रकबा 0.102 है0 कुल 6 किता का रकबा 1.43 है० आराजी स्थित हैं, जो वर्तमान में शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थीयागण का नाम पुष्पलता व कमलाबाई गलत अंकित हो गया हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 साथ में संलग्न है। प्रार्थीयागण के पिता के नाम वाके गाम एवं माल कवाई में खाता सं० 551 की कुल 4 किता का रकबा 1.28 है० आराजी स्थित हैं जो वर्तमान में शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थीयागण का नाम पुष्पाबाई वा कमलाबाई सही अंकित हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 साथ में संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested

1 व 2 में वर्णित आराजी में इन्ताकाल खोलते समय हल्का पटवारी द्वारां इंतकाल की नकल में सहवन से प्रार्थीयागण का नाम पुष्पाबाई की जगह पुष्पलता व कमला बाई की जगह कलाबाई दर्ज कर दिया। जो गलत हैं। जबकि प्रार्थीयागण का वास्तविक नाम परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेंज में पुष्पाबाई व कमलाबाई दर्ज हैं। जो सही नाम हैं। पटवार हल्का कवाई द्वारा खाता संख्या 55 में तो प्रार्थीयागण का नाम सही दर्ज कर दिया परन्तु खाता संख्या 552 में प्रार्थीयागण का नाम गलत दर्ज कर दिया हैं। जो पटवार हल्का के सहवन से त्रुटि हुई हैं जिसे दुरूस्त करवाने की प्रार्थीयागण अधिकारिणी हैं। प्रार्थीयागण खाते में अपना नाम पुष्पलता के स्थान पर पुष्पाबाई व कलाबाई के स्थान पर कमलाबाई दर्ज करवाने की अधिकारिणी हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से इस प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं 1 व 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद न० 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण पुष्पलता के स्थान पर पुष्पाबाई व कला बाई के स्थान पर कमलाबाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये की गई, अप्रार्थी को अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पेश नही करने पर जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्य प्रार्थी के अन्तर्गत $PW_1$ से $PW_3$ के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाये गये। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का नाम पुष्पलता के स्थान पर पुष्पाबाई व कलाबाई के स्थान पर कमलाबाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम कवाई की खाता संख्या 551 किता 4 रकबा 1.28 है0 में प्रार्थीयागण का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जो नामा0 सं0 1706 दिनांक 10.07.2017 से पुष्पलता के स्थान पर पुष्पाबाई , कला बाई कि स्थान पर कमला बाई दर्ज करने का आदेश हुआ था, लेकिन ग्राम कवाई की खाता संख्या 552 किता 6 रकबा 1.43 है0 में प्रार्थीयागण का नाम पुष्पलता, कलाबाई सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, बैंक डायरी बैंक ऑफ बडौदा, राशन कार्ड, आदि में पुष्पाबाई दर्ज है तथा इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र राशन कार्ड, में कमलाबाई दर्ज है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादियागण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

**—::क्रियात्मक आदेश::—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 552 किता 6 रकबा 1.43 है0 में प्रार्थीयागण सहखातेदार पुष्पलता के स्थान पर पुष्पाबाई, कलाबाई के स्थान पर कमला बाई दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested